पीपीपी मॉडल पर 17 बस अड्डों को विकसित करने का बिड मसौदा मंजूर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। पीपीपी मॉडल पर परिवहन निगम के 17 बस अड्डों को विकसित करने के लिए बिड मसौदे के प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने बताया कि प्रदेश में 23 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। पहले चरण में 17 बस अड्डों को विकसित किया जाना है। इसके लिए संशोधित बिड डाक्युमेंटेशन का प्रस्ताव भेजा गया था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

ये बस अड्डे शामिल : कौशांबी (बस स्टेशन, डिपो कार्यशाला), साहिबाबाद गाजियाबाद (बस स्टेशन, डिपो कार्यशाला), ट्रांसपोर्ट नगर (आगरा), ईदगाह (आगरा), आगरा फोर्ट, मथुरा (पुराना), कानपुर सेंट्रल (झकरकटी), वाराणसी कैंट (बस स्टेशन, क्षेत्रीय एवं डिपो कार्यशाला), सिविल लाइंस प्रयागराज, जीरो रोड प्रयागराज, विभूति खंड लखनऊ (बस स्टेशन, क्षेत्रीय एवं डिपो कार्यशाला), अमौसी (बस स्टेशन, डिपो कार्यशाला), चारबाग, सोहराब गेट मेरठ (बस स्टेशन, डिपो कार्यशाला), रसूलाबाद अलीगढ़ (बस स्टेशन/, डिपो कार्यशाला) एवं गोरखपुर बस अड्डे शामिल हैं।

लॉकडाउन में खरीदी गई बिजली के भुगतान के लिए 6000 करोड़ की मंजूरी

लखनऊ। लॉकडाउन में बिजली कंपनियों द्वारा खरीदी गई अतिरिक्त बिजली के भुगतान के लिए सरकार ने 6000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन यह फैसला किया गया। दरअसल, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए बिजली कंपनियों ने उत्पादन कंपनियों से अतिरिक्त बिजली खरीदी थी। बिजली उत्पादन कंपनियों से खरीदी गई बिजली के भुगतान के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने सरकार से करीब 6000 करोड़ की मांग की थी। ब्यूरो

312 अनुपयोगी कानून खत्म करने के प्रस्ताव को हरी झंडी

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने उप्र. निरसन अध्यादेश, 2021 के प्रारूप को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। इससे 312 अनुपयोगी व निष्प्रयोज्य अधिनियमों को समाप्त किया जा सकेगा। 7वें राज्य विधि आयोग ने 1430 अधिनियमों को खत्म करने की संस्तुति की है। इनमें से 960 अधिनियम समाप्त किया जाना बाकी है। इन 960 अधिनियमों में से 297 अधिनियम समाप्त किए जा रहे हैं। इसी तरह व्यापार की सुगमता के मद्देनजर औद्योगिक विकास विभाग ने 15 अधिनियमों को खत्म करने की संस्तुति की है। इनमें चार अधिनियम ऐसे हैं जो राज्य विधि आयोग की सूची में शामिल नहीं हैं जबकि 11 शामिल हैं। इस तरह कुल 312 अधिनियमों को खत्म करने की संस्तुति संबंधित प्रशासकीय विभागों ने की है। इस अध्यादेश के जरिए इन अधिनियमों को समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो

आगरा मेट्रो के लिए दी जाएगी पीएसी व मंडलायुक्त कार्यालय की जमीन

लखनऊ। आगरा मेट्रो रेल परियोजना को आगे बढ़ाने में आड़े आ रही जमीन की दिक्कत को सरकार ने दूर कर दिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि पीएसी बटालियन और मंडलायुक्त कार्यालय परिसर की खाली जमीन आगरा मेट्रो रेल परियोजना को दी जाएगी। इससे संबंधित आवास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो